

वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 के उल्लंघन के विषय में पैनेल्टी की प्रस्तावित गणना।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० आगरा द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर के अन्तर्गत दिल्ली-कानपुर मार्ग किमी० 60 (चैनेज 59.180) की दांयी पटरी के किनारे निजी भूमि खसरा नं० 165 ग्राम लालपुर में रिटेल आउटलेट के निर्माण से सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्ताव में प्रभावित 0.1689245 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रेषित प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रयोक्ता एजेन्सी/कम्पनी द्वारा स्वीकृति से पूर्व सम्पर्क मार्ग में टाइल्स बिछाली गयी है, तथा संरक्षित वन भूमि का उपयोग किया जा रहा है, जिससे वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन किया गया है। उल्लंघन के सम्बन्ध में भारत सरकार वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र सं० एफ०नं० 11-42/2017-एफ०सी० दिनांक 29.01.2018 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बिन्दु सं० बी (11) के अनुसार निम्न प्रकार पैनेल्टी की गणना की जाती है:-

1.	प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रस्तावित एन०पी०वी० - प्रभावित वन भूमि 0.1689245X957780 =	161793.00
2.	प्रस्ताव के प्रक्रिया में होने के अन्तर्गत उल्लंघन किये जाने के कारण 13X161793 =	2103309.00
3.	12 प्रतिशत साधारण ब्याज 2103309X12/100 प्रतिशत =	252397.08
	कुल योग:- =	रु० 2355706.00
4.	Public Utility Project होने की दशा में 20% of calculated ammount =	रु० 471141.20
	या रु०	471141.00


प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बुलन्दशहर।